



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125163

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 23206 वर्ष 2026

तारिक सकलैनी एवं 3 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. विपक्षी संख्या- 2 की ओर से श्री राकेश पति तिवारी, अधिवक्ता द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार, विपक्षी संख्या- 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश पति तिवारी तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. आवेदकों ने थाना प्रेम नगर, जिला बरेली से संबंधित वाद अपराध संख्या- 627 वर्ष 2018 से उद्भूत सत्र विचारण संख्या- 308 वर्ष 2012 (राज्य बनाम दीनु उर्फ अब्दुल एवं अन्य), अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 452, 323, 506 आईपीसी जो कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 13, बरेली के न्यायालय में लंबित है, का आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 27.2.2019 और संज्ञान आदेश दिनांक 17.9.2019 के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के लिए धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों और विपक्षी संख्या- 2 ने न्यायालय से बाहर अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा कर लिया है। आवेदकों ने पक्षकारों के बीच हुए समझौते के निबंधनों के आधार पर कार्यवाहियों को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ यह 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन दाखिल कर इस न्यायालय का रुख किया था। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने धारा 482 के तहत आवेदन संख्या- 31880 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 27.9.2024 द्वारा पक्षकारों तथा समझौते के आवेदन के सत्यापन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 20.1.2025 द्वारा पक्षकारों के साथ-साथ समझौते के आवेदन को विधिवत सत्यापित किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों और विपक्षी संख्या- 2 ने मामले में समझौता कर लिया है और विपक्षी संख्या- 2 आवेदकों के विरुद्ध मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों और विपक्षी संख्या- 2 ने समझौते के माध्यम से अपने विवाद को सुलझा लिया है और इस प्रकार विपक्षी संख्या- 2 आवेदकों के विरुद्ध उपरोक्त मामले पर बल नहीं देना चाहता है। विपक्षी संख्या- 2 आवेदकों के अभियोजन को वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते को देखते हुए, यदि अभियोजन को आगे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

5. विपक्षी संख्या- 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सत्यता या उनके द्वारा अवलम्ब लिए गए दस्तावेजों की सत्यता पर विवाद नहीं करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि उपरोक्त मामले की कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया जाता है, तो विपक्षी संख्या- 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षकारों ने न्यायालय से बाहर अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, इसलिए आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरिन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466, परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन, (2019) 5 एससीसी 688 के मामलों में स्पष्ट रूप से यह माना है कि कुछ संज्ञेय और गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के बीच समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा सैफुल्ला एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [2013 (83) एससीसी 278] के मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को विस्तार से समझाया गया है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि उपरोक्त संदर्भित मामले की कार्यवाहियों को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

9. तदनुसार, वर्तमान आवेदकों के संबंध में, थाना प्रेम नगर, जिला बरेली से संबंधित वाद अपराध संख्या- 627 वर्ष 2018 से उद्भूत सत्र विचारण संख्या- 308 वर्ष 2012 (राज्य बनाम दीनु उर्फ अब्दुल एवं अन्य), अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 452, 323, 506 आईपीसी में आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 27.2.2019 और संज्ञान आदेश दिनांक 17.9.2019 के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

10. तदनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

3 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।